JANDHARA MEDIA HOUSE
Phone : 0771-4819100, 8959444440
Email : info@jandharaasian.com
Website : www.jandharaasian.com

ASIAN NEWS

दिनांक 14/02/2024

प्रति,

श्री अरुण भद्रा
मुख्यतार
कुमारी अंजलि भद्रा
पूर्व पार्टनर जनधारा मीडिया हाउस

विषय : - आपके द्वारा समय समय पर दिये गए पत्र, नोटशीट,व्हाट्सप्प संदेश एवं सोशलमीडिया के माध्यम से लगाए जा रहे अनर्गल एवं मिथ्या एवं झूठे आरोपों के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- आपका पत्र दिनांक 08/02/2024 फर्म की सरकारी देनदारी न देना व बैंक से राशि निकलना, अपने उपयोग के लिए फ्रॉड तथा आपके पूर्व पत्र, रात्रिकालीन व्हाट्सप्प, सन्देश और चरित्र हनन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये छवि धूमिल करने का प्रयास।

अपने उपरोक्त संदर्भित पत्रों और रात्रिकालीन व्हाट्सप्प मैसेज, सोशल मीडिया के जरिये जनधारा मीडिया हाउस के पार्टनर के रूप में मुझ पर और मेरी बेटी सुरुचि मिश्रा के ऊपर बहुत से अनर्गल आरोप लगाकर, सुरुचि के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी की है आपके इस कृत्य से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है हमने पार्टनरशीप डीड के अनुसार हो अब तक का आचरण और व्यवहार किया है आपने जानना चाहा है की सरकारी विज्ञापन आने पर हम देनदारियों का भुगतान कर भुगतान की जानकारी अंजलि भद्रा के एवज़ में आपको दे। हमारे पास आपके द्वारा पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित देनदारियां जनधारा मीडिया हाउस के ऊपर है सूची सलंग्न है। इसके एवज़ में हमे छत्तीसगढ़ संवाद, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, और संवाददाता की ओर से निम्नलिखित राशि प्राप्त होनी है सूची सलंग्न है ।
आपने भोपाल ऑफिस के सारा सामान स्वयं लेकर, उसे रिक्त करते हुए दिनांक 08/02/2024 को जो पत्र मकान मालिक शांति कॉलोनॉइज़ एंड डेवलपर्स को लिखा है वह बहुत ही आपत्तिजनक है आपके द्वारा सुरक्षा निधि के रूप में जमा राशि कुमारी अंजलि भद्रा के कर्नाटक बैंक में देने के लिए कहा है जबकि यह राशि जनधारा मीडिया हाउस की ओर से जमा की गई थी।
आपने मुझ पर मेरी बेटी पर फ्रॉड का आरोप लगाया है जबकि मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है वह कंपनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति होने के नाते किया गया है इसके ठीक उल्ट मेरी ATM कार्ड से कॅश निकला गया जो की बिना जानकारी के है जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाने में करवाई गई है मेरे द्वारा पूर्व में कंपनी के किसी कार्य के लिए विश्वास से चेक में हस्ताक्षर कर के दिया गया था उसे भी मेरी जानकारी के बिना शकील साजिद के नाम से 40 लाख रूपए कंपनी के खाते से निकलने की कोशिश की गई किन्तु मोबाइल अलर्ट और बिना कॉल कन्फर्मेशन के कारण चेक क्लियर नहीं हो सका

Jandhara Media House
Partner

आप लगातार अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे है और आपके द्वारा विधान सभा थाने में एक झूठी शिकायत की गई है की आईसीआईसीआई बैंक सिविल लाइन्स के बैंक मैनेजर श्री अमित मिश्रा और मैं रिश्तेदार है मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है आपने मुझपर 25 लाख नगद निकालने का आरोप लगाया है।

आप बार-बार आरोप लगा रहे है की हमने राधाकृष्णा मल्टीमीडिया एन्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साथ-गांठ करके श्री तरुण जैन से ASIAN न्यूज़ का अनुबंध उनकी कंपनी से करवाया है जबकि आपके द्वारा यश सेटेलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक तरुण जैन के लिए अपशब्द कहे जाते रहे है। तरुण जैन ने आपके व्यवहार और चैनल के आर्थिक संकट, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए 01 महीने का नोटिस देकर जनधारा मीडिया हाउस के साथ 13 जनवरी 2024 को अनुबंध निरस्त कर दिया हमारे द्वारा चैनल के बचाने के लिए कई प्रयास किये गए किन्तु आपके व्यवहार और अनावश्यक हस्तक्षेप की वजह से चैनल बंद हुआ।

इसके ठीक उलट आपके द्वारा VIP न्यूज़ जो की जनधारा मल्टीमीडिया के अंतर्गत संचालित हो रहा था जिसमे मैं भी 50 प्रतिशत का पार्टनर हूँ आपने भोपाल जाकर VIP न्यूज़ के लिए एक नया अनुबंध किया है आप एक तरफ आरोप लगा रहे हो की तरुण जैन ने बिना जानकारी और गैर क़ानूनी तरीके से अनुबंध समाप्त किया है और दूसरी तरफ आप खुद बिना जनधारा मल्टीमीडिया और संध्या डेली मीडिया के बीच के अनुबंध के समाप्त हुए बिना VIP न्यूज़ के लिए संध्या डेली मीडिया से अनुबंध कर के आए है यह भी आपके आचरण को दर्शाता है।

आपने अपने पत्र दिनांक 12 दिसंबर 2023 के माध्यम से सही कहा है कि श्री शकील साजिद के प्रस्ताव पर मेरे जैसे मीडिया क्षेत्र के जानकर, अनुभवी पर भरोसा कर के आपने अपनी बेटी कुमारी अंजलि भद्रा, जो की मीडिया की उच्च शिक्षा लेना चाहती है को प्रमोट करने और मीडिया से जोड़ने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म जनधारा मीडिया हाउस दिनांक 22 जून 2022 को CA मनेश के अग्रवाल के माध्यम से बनवाई। जिसमें मैं, मेरी बेटी सुरुचि मिश्रा धनेरवाल और अंजली पार्टनर बने।

हमारी आपसी समझ में यह साफ़ था कि मेरा और मेरी बेटी सुरुचि मिश्रा धनेरवाल का मीडिया का अनुभव, जान पहचान और कुशल दक्षता का उपयोग कर के हम एक 24 घंटे का रीजनल न्यूज़ चैनल संचालित करेंगे। हमारे द्वारा एक 24 घंटे के न्यूज़ चैनल के संचालन में होने वाले सारे खर्चो से अवगत कराया गया साथ ही यह भी बताया गया की चैनल आने वाले 3 वर्षो में ही ब्रेक इवन में आएगा जिसमे सहमति जताई।

हमने दिल्ली गाज़ियाबाद निवासी तरुण जैन के यश सेटेलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से Satellite चैनल चलाने के लिए दिनांक 24 जून 2022 को एक अनुबंध भी निष्पादित किया । अनुबंध की सारी कंडिका से आप भी सहमत थे और पार्टनर अंजलि भद्रा की ओर से गवाह के रूप में आपके द्वारा हस्ताक्षर किये गए। चैनल को चलाने के लिए मीडिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी लोगो की सेवाएं ली गई , आज की जनधारा के नाम पर साथ ही न्यूज़ चैनल चलाने के लिए हाउसिंग बोर्ड की कमर्शियल बिल्डिंग, जो की सड्डू में हमारे जनधारा हाउस के नज़दीक थी उसे किराये पर 29 जुलाई 2022 से लिया गया।

जनधारा मीडिया हाऊस के निर्माण के बाद सारी प्रारंभिक गतिविधियों हमारे स्वामित्व वाले जनधारा हाऊस HIG 27 से संचालित हो रही थी इस वजह से बहुत सारे खर्च व्यवस्थाएँ जनधारा मल्टी मीडिया और अभिव्यक्ति प्रकाशन यानी आज की जनधारा , VIP न्यूज़, TTV27

Jandhara Media House
Partner

स्वदेश न्यूज़ के साथ आपसी समन्वय , मितव्ययिता के साथ संचालित हो रही थी। संस्था प्रमुख होने के नाते मेरे द्वारा कार्य के सुचारू संचालन के लिए आपसी सहमति से ऐसा तब तक किया जाता रहा जब तक की एशियन न्यूज़ के पास अपने सारे संसाधन नहीं हो गये। जनधारा हाऊस स्थित जनमंच और स्टुडियो भी एशियन न्यूज़ के कार्यक्रमों के लिए लगातार उपयोग में लाया जाता रहा।

हमारी कार्य कुशलता और लगन और मेरे नेतृत्व और सुरुचि की अलग अलग प्रांतो में सम्पर्को से हमारे चैनल ने कम समय में अपनी प्रतिष्ठा बनाई और अपेक्षा से अधिक व्यवसाय भी किया। मेरी कार्यक्षमता और गुडविल और सम्बन्धों के चलते हमारा Asian न्यूज़ चैनल को छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड 5 करोड़ के अधिक के विज्ञापन शासकीय, रीजनल एवं रिटेल से प्राप्त हुए और अन्य राज्य राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यश सेटेलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से हुए हमारे अनुबंध दिनांक 24 जून 2022 की शर्तो के उल्लंघन के नाम पर तरुण जैन द्वारा हमारे चैनल के प्रसारण को प्रभवित किया गया तब मेरी ओर से उन्हें दिनांक 20 दिसंबर 2023 को मेल कर के सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।

चूँकि हमारी फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें नियमानुसार 3 पार्टनर्स है जिसमें पार्टनर 01 सुभाष मिश्रा, पार्टनर 02 सुरुचि मिश्रा धनेरवाल और पार्टनर 03 अंजलि भद्रा थे। पार्टनरशिप डीड के कंडिका 7 के अनुसार "वह पार्टी नं. 1 अर्थात्, इस विलेख के श्री सुभाष मिश्रा मुख्य संपादक और मुख्य निष्पादक के रूप में साझेदारी फर्म के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सहमत हुए हैं और वह साझेदारी व्यवसाय के मामलों के संचालन में सक्रिय रूप से लगे रहेंगे और वह प्रबंधन शुल्क लेने के हकदार होंगे। /प्रबंधकीय शुल्क साझेदारी फर्म की सकल प्राप्ति का 5% होगी। चूँकि हमारे द्वारा इस पूरी अवधि में किसी प्रकार का सकल प्राप्ति का 5% नहीं लिया गया और न ही पूरी अवधि का मानदेय लिया गया। संस्था के एकाउंट्स के अनुसार मुझे पूरी इस अवधि में 210000/- रूपए प्राप्त हुए और जो की मेरे द्वारा फर्म के लिए किये गए बहुत सारे कार्य जिसमें दिल्ली भोपाल आदि के दौरे के खर्च शामिल है इसके अलावा एक अन्य पार्टनर सुरुचि मिश्रा धनेरवाल को 425000/- राशि प्राप्त हुए जबकि हमारी आपसी समझ के अनुसार पार्टनरों को 1 लाख मानदेय मिलना था लेकिन संस्था की आर्थिक कमी को देखते हुए हमारे द्वारा यह राशि नहीं मांगी गई। हम लगातार संस्था के हित में बिना किसी पारिश्रमिक मानदेय के काम करते रहें।

आपके द्वारा यह आरोप लगातार लगाया जा रहा है की हम बिना किसी निवेश के पार्टनर बने है तो स्वयं आपके द्वारा दिए गए पत्र क्रमांक 29 जनवरी 2024 में सलंग्न दस्तावेज जिसमे हमारे द्वारा किये गए निवेश जिसमे हमारे गायत्री नगर स्थित मकान के विरुद्ध लिया गया 60 लाख का होम लोन, हमारे भांजे की कंपनी Click2Cloud से लिया गया 4500000/- का लोन शामिल है। हमारे द्वारा चैनल का सुचारु संचालन किया जा रहा था। आपके द्वारा अपनी बेटी अंजली भद्रा के behalf में फर्म के कार्यो में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया और फर्म के कार्य को बाधित किया और अंजली भद्रा के आम मुख्यतार घोषित होने के पहले से ही नोटशीट के जरिये लगातार किया जाता रहा। जिसके सारे प्रमाण स्वयं आपने नोटशीट के बंच के साथ सौंपे है। फर्म के निर्माण से लेकर अब

Jandhara Media House
Partner

तक अंजली भद्रा जो की फर्म की वर्किंग पार्टनर थी कभी भी उन्होंने फर्म के कार्य में रूचि नहीं दिखाई न ही वह कभी चैनल के ऑफिस आती जाती थी अंजली भद्रा की ओर से आपके द्वारा 11 दिसंबर 2023 जो आम मुख्यतार नामा पारिवारिक प्रस्तुत कर के अंजलि भद्रा के मार्फ़त जो अधिकार पार्टनरशिप में स्वयं को सौंपे है वो अधिकार पार्टनरशिप फर्म में अंजली भद्रा को भी नहीं थे। यह सारे अधिकार सुभाष मिश्रा के पास थे बावजूद इसके आपके द्वारा फर्म की मूल भावना के विपरीत चैनल के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न की। आपने अपने आपको फर्म का मुख्य कर्त्ताधर्ता घोषित किया।आपने अपने पत्रों में यह आरोप लगाया है की हमने एशियन न्यूज़ के लिए बड़ी बड़ी वेतन में अभय किशोर , आशीष तिवारी , संजय उपाध्याय और उन जैसे बहुत से पत्रकार, कर्मचारी को नियुक्त किया जिसके कारण संस्था को पाँच लाख रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त खर्च उठाना पडा । सच्चाई यह है जिस वेतन पर कर्मचारी रखे गये बाक़ी मीडिया संस्थानों में ऐसे लोगों के समकक्ष लोगो को उनसे कहीं ज़्यादा वेतन मिलता है। हमारे द्वारा रखे गये बहुत से कर्मचारी बाद में हमसे अधिक वेतन पर दूसरे संस्थानों में आज भी काम कर रहे हैं आपके द्वारा सम्पादकीय कार्यो में लिखित और मौखिक हस्तक्षेप एवं चैनल विशेषज्ञ के कार्यो में हस्तक्षेप की वजह से वे लोग चैनल छोड़ कर चले गए जिसकी वजह से चैनल की साख प्रभवित हुई है आपके द्वारा मीडिया की कार्य प्रणाली के विपरीत लगातार नोटशीट लिख कर मीडिया कर्मचारियों के कार्यो में हस्तक्षेप कर के उन्हें ऐसे दायित्व सौपे जा रहे थे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। आपके द्वारा चैनल संचालित करने वाले प्रमुख लोगों को रात के समय अनर्गल व्हाट्सप्प मैसेज और दिन में नोटशीट और मौखिक रूप से ऐसे मैसेज, आदेश दिये जाने लगे जो किसी प्रोफेशनल रचनात्मक और तकनीकी काम के लिए उपयुक्त नहीं थे जिस वजह से यहाँ कार्यरत बहुत से कर्मचारी हमें छोड़कर गये । जनधारा मीडिया हाउस जिसका वित्तीय प्रबंधन आपके हाथो में था वह पूरी तरह प्रभावित हुआ यही वजह है की हम 17 दिसंबर 2022 को कराये गए कार्यो का भुगतान एक साल बाद भी नहीं कर पाये। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पाने और चैनल के लिए जरुरी संसाधन भी हम नहीं जुटा पाये आपके द्वारा कर्मचारियों के नाम दिनांक 25.12.2023 को जारी पत्र में आपने इसे स्वयं स्वीकारा।

चैनल के संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले अभय किशोर,आशीष तिवारी को चैनल से निकलने के लिए मजबूर किया। आपने अपने व्हाट्सप्प संदेशो, नोटशीट, और पत्रों में अभय किशोर और आशीष तिवारी को मीडिया माफिया कहा। आपके व्यवहार और सोशल मीडिया पर रात्रिकालीन संदेशो से चैनल की छवि धूमिल हुई और कर्मचारी प्रभावित हुए।

आप अपने आपको एशियन न्यूज़ का मालिक प्रमोटर,कर्ताधर्ता बताते रहे नोटशीट लिखकर जताते रहे। सारे एकाउंट संबंधी दस्तावेज वाउचर आपने रखा और अपने आप को एकाउंट और नियम क़ानून का जानकार बताते रहे । आपकी अराजक कार्यप्रणाली और अनावश्यक हस्तक्षेप की वजह से कंपनी के CA विक्रम बिंदल , एशियन न्यूज़ के बिज़नेस हेड चंद्रिका अवस्थी , न्यूज़ रिपोर्टर मनोज सिंह जैसे बहुत से कर्मचारी को एशियन न्यूज़ छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आपने बिना मेरी सहमति अपने रिश्तेदार तपन बोस को HR हेड बना दिया । आपके चलते कंपनी का ऑडिट समय पर नहीं हो पाया और उसी स्टाफ़ ने बाक़ी दोनों कंपनी जनधारा मल्टीमीडिया और अभिव्यक्ति प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट समय पर करवा लिया । कंपनी के सारे ओरिजनल वाउचर लेखा जोखा आपके पास है उसकी ओरिजनल प्रति लौटाये ताकि हम कंपनी का बक़ायदा

आय व्यय की जानकारी का संधारण कर सकें।

Jandhara Media House
Partner

दरअसल आप अपनी बेटी अंजली भद्रा के बदले स्वयं मीडिया का संचालन करना चाहते थे। आपके द्वारा हमें नयी शर्तो के साथ पार्टनरशिप डीड का प्रस्ताव दिया गया जिसमे पहले दिए गए डीड में सुरुचि मिश्रा धनेरवाल को हटा कर 30000 मासिक वेतन पर एम्प्लोयी बनने का प्रस्ताव रखा और मुझे 30 % शेयर देने की पहल की और इसके एक और डीड का प्रस्ताव दिया जिसमे आपने दोनों ही प्रस्ताव में अपने मूल भावना के विपरीत अपनी बेटी को फर्म से अलग किया और आपकी मीडिया में आने की भावना का प्रकटीकरण साफ़ दिखाई दिया।

आपके द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से हमारे ऊपर कूटनीति, छल कपट और कानून से बाहर जाकर पार्टनरशिप डीड बनाने का आरोप लगाया है। डीड में आपकी बालिग बेटी अंजलि भद्रा के हस्ताक्षर है और गवाह में आपके भी हस्ताक्षर है आप अनेक अवसर पर अपने आपको कानून और एकाउंट्स का जानकर बताते है और आपके द्वारा छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट कंपनी का भी संचालन किया जा रहा है तो ऐसे में आपका यह आरोप बेबुनियाद है की आपने और आपकी बेटी ने बिना देखे पढ़े पार्टनरशिप डीड में हस्ताक्षर कर दिया।

हमने जनधारा मीडिया हाउस का निर्माण क्षेत्रीय चैनल के संचालन के लिए किया था। जो हम अच्छे तरीके से कर रहे थे, किन्तु जब तरुण जैन द्वारा चैनल के लाइसेंस का टर्मिनेशन कर दिया गया। तब इस फर्म का उस तरह का औचित्य नहीं रह गया जिसके लिए फर्म गठित की गई थी। चूँकि आपके द्वारा बिना हमारी जानकारी और सहमति के सक्षम न्यायालय श्रीमान व्यवहार 02 के न्यायलय में दिनांक 11 जनवरी 2024 में परिवाद प्रस्तुत किया गया और हमें उसमे शामिल नहीं किया गया। जिसमे हम मुख्य रूप से पार्टनर और संचालनकर्ता थे। उलटे आपके द्वारा अनेक स्थानों थानों, भारत सरकार के कार्यालयों में बिना हमारी जानकारी और सहमति के लिखित शिकायत की गई। जहां तक यश सेटेलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का सवाल है, वह एक स्वतंत्र फर्म और वह यदि हमसे अनुबंध समाप्त करती है और आप उसे कोर्ट में चुनौती देते है ऐसे में आपके द्वारा यह कहना की उनके साथ हमारी साथ-गांठ है पूरी तरह मनगढ़त गलत है।

सड्डू स्थित हाउसिंग बोर्ड के जिस कमर्शियल काम्पलेक्स से एशियन न्यूज़ संचालित हैं वहाँ का सेटअप जो जनधारा मीडिया हाऊस की प्रॉपर्टी है जिसमे , मशीनरी , स्टुडियो सहित सारा सामान यथावत वहीं है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं । मेरे द्वारा स्वयं के कक्ष रखी स्वयं की किताबों के अलावा कोई सामग्री नहीं ले जाई गई है । जहां तक उक्त बिल्डिंग का सवाल है वह भी आज की जनधारा के नाम पर किराये पर थी जिसे रिक्त करने का पत्र मेरे द्वारा हाउसिंग बोर्ड को लिखा जा चुका है ।

जनधारा मीडिया हाउस के ओर से मेरे द्वारा किये गये अनुबंध में हस्ताक्षर पार्टनर, और कंपनी की ओर से अधिकृत मुख्य प्राधिकारी के सामने किये गये चूँकि सभी अनुबंध में मेरे हस्ताक्षर थे इसलिए वे कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में सुरक्षित रखे गए है।

संस्था के सीनियर शकील साज़िद के हाथों आपके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख़ 31 दिसंबर 2023 बताकर ऑडिट रिपोर्ट पर तत्काल हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया चूँकि शकील साज़िद मेरे पूर्व परिचित और बैंक के अधिकारी रहें है मैंने और मेरी बेटी ने ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये किन्तु जैसे ही हमने घर जाकर जैसी ही हमने रिपोर्ट देखी आकलन गलत था।

आपके द्वारा हमें दिए गए पत्रों और सन्देश में क़ानूनी सलाह लेने की बार बार बात कही गई हमारे द्वारा आपकी राय को मानते हुए क़ानूनी सलाह ली गई हमारे एडवोकेट ने हमे सलाह दी की हमने जिस उद्देश्य को लेकर पार्टनरशीप फर्म बनाई थी उसकी मूल भावना नष्ट हो रही है कर आप

Jandhara Media House
Partner

हमारी पार्टनर अंजलि भद्रा के मुख्यतारनामे के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली से हमारे रोज़मर्रा के कार्यो को प्रभावित करके हमारी छवि को धूमिल कर रहे है ऐसे में हमे क़ानूनी सलाह मानते हुए जनधारा मीडिया हाउस से अंजलि भद्रा को पृथक करने की विधिवित कार्यवाही करनी पड़ी जिसका हमें खेद है। आपके द्वारा जो लेनदारी और देनदारी की सूची दी गई है वह सूची त्रुटिपूर्ण है वास्तविक देनदारी और लेनदारी की सूची दी जा रही है पार्टनरशिप फर्म के प्रावधानों के अनुसार लेनदारी और देनदारी का निर्धारण और भुगतान किया जायेगा और पार्टनरशिप डीड में उल्लेखित Arbitrator से मूल्यांकन करवा कर Arbitrator के माध्यम से होगा। कृपया आप अनर्गल आरोप लगाना बंद कर अपनी गलती को स्वीकारें और हमारे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना, बंद करे ।

Jandhara Media House

जनधारा मीडिया हाऊस

Partner

सुभाष मिश्र

पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रतिलिपि-

1.श्री शकील साजिद पूर्व HR मैनेजर ASIAN न्यूज़, जनधारा मीडिया हाउस की ओर सादर सूचनार्थ।

2.श्री मनेश अग्रवाल, CA की ओर सादर सूचनार्थ।

3.श्रीमती सुरुचि मिश्रा धनेरवाल, पार्टनर की ओर सादर सूचनार्थ।

4. ASIAN न्यूज़ से जुड़े समस्त संवाददाताओं की ओर सादर सूचनार्थ।